C.NO 29/2026 उनवान प्रवी० एवं तलाक

05/3/26 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। P.O. सा० राजकार्य में व्यस्त। पत्रावली दिनांक 23/3/26 को पेश हो।

23/3/26 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान तथा/ पीठासीन अधिकारी राजकार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते ...[illegible]... दिनांक 6/4/26 को पेश हो।

08/4/2026 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। वकील प्रार्थी की प्रा० पत्र धारा 29 [illegible] पर बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। प्रा०पत्र धारा 29(4) स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से तैयार कर पत्रावली में शामिल मिसल किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्तीकरण हो।

[illegible signature]
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— सुश्री नेहा राजपूत (आई.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 29 / 2026

1. प्रवीण कुमार जैन पुत्र महेन्द्र कुमार जैन जाति जैन उम्र लगभग 48 वर्ष निवासी मकान नम्बर 30—31, विनायक नगर बी—ब्लॉक, मदनगंज किशनगढ़ तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.।
2. रिषभ गंगवाल पुत्र प्रवीण कुमार गंगवाल जाति जैन उम्र लगभग 22 वर्ष निवासी मकान नम्बर 30—31, विनायक नगर बी—ब्लाक, मदनगंज—किशनगढ़ तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़।

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक 06/4/2026

उपस्थितः: वकील प्रार्थी श्री पुष्पक सोनी
वकील अप्रार्थी श्री पैरोकार सरकार

1.संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से वकील श्री पुष्पक सोनी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) में पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 749 / 103 क्षेत्रफल 1.6180 हैक्टेयर किस्म गै०मु० हरड़ी वाकै ग्राम टिकावडा पटवार हल्का टिकावडा भू.अभि.नि.क्षेत्र सिलोरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज० में अवस्थित है। प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि स्वयं के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि आराजी है जिस पर प्रार्थीगण कृषि कार्य करके अपने व अपने परिवार का भरण पोषण करता है। प्रार्थीगण उक्त कृषि आराजी पर कृषि कार्य हेतु आने जाने एवं कृषि उपकरण ट्रेक्टर, हल इत्यादि लाने ले जाने एवं प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थीगण के जानवर आने जाने आदि के लिए प्रार्थीगण की पैरा संख्या 1 में वर्णित कृषि आराजी के अडोस पडोस में लगते हुए खसरों में राजस्व रिकार्ड में कोई आम रास्ता अंकित नहीं है प्रार्थीगण वर्तमान में ग्राम टिकावडा पटवार हल्का टिकावडा भू.अभि.नि.क्षेत्र सिलोरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज० में स्थित खसरा नम्बर 1076 / 752 क्षेत्रफल 0.4854 हैक्टेयर जो कि आने जाने वाला राजस्व रिकार्ड में गै० मु० रास्ता के नाम अंकित है उक्त रास्ते से होते हुए प्रार्थीगण अप्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम टिकावडा पटवार हल्का टिकावडा भू.अभि.नि.क्षेत्र सिलोरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज० स्थित खसरा नम्बर 1250 / 1151 गैर मुमकिन हरड़ी में से होते हुए प्रार्थीगण अपनी स्वयं की वाकै ग्राम टिकावडा पटवार हल्का टिकावडा भू.अभि.नि.क्षेत्र सिलोरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज० में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 749 / 103 में काश्त करने हेतु नजरी नक्शे में वर्णितानुसार आवागमन हेतु सदियों पुराना जो रास्ता अवस्थित है से आता जाता है किन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन अमल दरामद तरमीम नहीं होने के कारण राजस्व रिकार्ड में उक्त रास्ते को राजस्व मानचित्र मे कायम करते हुए अंकन अमल दरामद व तरमीम करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ प्रार्थीगण की पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजी में आने जाने हेतु अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1250 / 1151 में से 30 फीट चौडाई का रास्ता प्रार्थी की सीव तक दिलवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण के आवागमन हेतु उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में अंकित, वर्णित एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से अंकित एवं

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

वर्णित रास्ते का प्रचलित राजस्व रेकार्ड एवं मानचित्र में अंकन, अमल दरामद तरमीम ना होने से अप्रार्थी प्रार्थी के उक्त आवागमन के रास्ते में आये दिन बाधा, व्यवधान, हस्तक्षेप करते रहते है इस कारण प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र राजस्व रिकार्ड, राजस्व मानचित्र में रास्ते को कायम करवाने, अंकन अमल दरामद, तरमीम करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। प्रार्थीगण नियमानुसार अप्रार्थी की भूमि जो कि रास्ते के आवागमन हेतु आने वाली भूमि जो नजरी नक्शे में एवं प्रार्थना पत्र में अंकित है की नियमानुसार प्रतिफल राशि अप्रार्थी को अदा करने, माननीय न्यायालय में जमा कराने को तैयार एवं तत्पर है। प्रार्थीगण की पेरा संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी – की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1250/1151 गैर मुमकिन हरड़ी में से होते हुए प्रार्थी की कृषि आराजी पर आने जाने हेतु एक मात्र रास्ता है जो कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे में अंकितानुसार एक मात्र रास्ता है जो सबसे निकटतम व लघुतम रास्ता है इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे को प्रार्थना पत्र का अंग माना जावें। प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि खसरा संख्या 1250/1151 गैर मुमकिन हरड़ी अप्रार्थी राजस्थान सरकार की होने से उन्हें प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाना आवश्यक हुआ एवं अप्रार्थी की भूमि के अलावा प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने के कारण उक्त खसरे में से प्रार्थीगण ने आवागमन हेतु अप्रार्थी की भूमि में से रास्ता दिलवाने हेतु एवं दिलवाये जाने वाले रास्ते को राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व मानचित्र में अंकन, तरमीम, अमल दरामद करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।अतः श्रीमान् की सेवा में प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित 30 फीट चौडा रास्ते को प्रार्थीगण की खातेदारी की ग्राम टिकावडा की भूमि खसरा संख्या 749/103 में आने जाने हेतु रास्ता कायम किया जाकर राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करावें।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 02.02.2026 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी करवाई गई। तहसीलदार किशनगढ द्वारा पत्रांक/भू.अ./2026/1505 दिनांक 24.02.2026 द्वारा प्रस्तावित मार्ग हेतु मौका रिपोर्ट पेश की जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम टिकावडा में स्थित भूमि खसरा संख्या 749/103 में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थी की खातेदारी में आवागमन के लिये एकमात्र रास्ता खसरा संख्या 1250/1151 रकबा 1.8815 हैक्टेयर में से 0.0223 हैक्टेयर रास्ते हेतु दिया जा सकता है, जिसके लिये प्रस्तावित रकबा 0.0223 हैक्टेयर अधिग्रहित की जायेगी, जिसकी निर्वापित राशि वर्तमान डी.एल.सी. दर 1163200/– प्रति हैक्टैयर के अनुसार 51879/– अक्षरे इक्यावन हजार आठ सो उनासी रूपये होगी।

3. तहसीलदार किशनगढ की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) पर बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया। हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार किशनगढ की मौका रिपोर्ट मय जवाब के अवलोकन से ताईद है कि प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थी की खातेदारी में आवागमन के लिये एकमात्र रास्ता खसरा संख्या 1250/1151 में दिया जा सकता है, जिसके लिये प्रस्तावित रकबा 0.0223 हैक्टेयर अधिग्रहित की जायेगी, प्रस्तावित रास्ता रकबा 0.0223 हेक्टेयर स्वीकृत किये जाने की स्थिती में प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 749/103 में आवागमन हेतु पहुंच मार्ग उपलब्ध हो जायेगा । अतः तहसीलदार किशनगढ की अनुशंषा एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिपूर्ण है।

NRajput
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज.का.अधि. स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि खसरा संख्या 1250/1151 में से प्रस्तावित रास्ते हेतु अधिग्रहित रकबा 0.0223 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाकर प्रचलित डी.एल.सी. दर के अनुसार ख0नं0 1250/1151 में से रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा 0.0223 हेक्टेयर भूमि की निर्वापित राशि 51879/– अक्षरे इक्यावन हजार आठ सो उनासी रूपये, मात्र होती है, जो प्रार्थी द्वारा राजकीय कोष, 88 राजस्व मण्डल 8443 सिविल डिपोजीट के मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा की जायेगी। प्रार्थीगण को अधिग्रहित भूमि रकबा 0.0223 हैक्टेयर भूमि का मुआवजा राशि 51879/– अक्षरे इक्यावन हजार आठ सो उनासी मात्र, तहसीलदार किशनगढ के माध्यम से राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार किशनगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त मुआवजा राशि राजकोष में जमा होने के पश्चात् उनकी रिपोर्ट क्रमांक 2026/1505 दिनांक 24.02.2026 के साथ संलग्न मौका पर्चा एवं नक्शा के अनुसार रकबा 0.0223 हैक्टैयर रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में तरमीम कर भूमि रास्ता सिवायचक दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 06/4/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Rajput

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ